संख्या : 8456 पत्रावली संख्या– जी– 48781 दिनांक : 27/5/11

सोसाइटी - रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण - पत्र

(सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 सन् 1860 के अधीन)

संख्या–331 / 2011–2012

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि	**स्व0 सीता राम सर्राफ वेलफेयर सोसाइटी**
आर्य समाज गली, मालवीय रोड, तहसील– सदर, जनपद– देवरिया, उ0 प्र0।	

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई0 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र **26.05.2016** तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक **27.05.2011** को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

27.5.11

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AB 065153

यह जनरल स्टाप पेपर स्वर्गीय सीताराम सर्राफ वेलफेयर सोसाइटी
आर्य समाज गली, मालवीय रोड देवरिया सदर
जिला देवरिया फाइल नं० जी-54878,
स्मृति पत्र के साथ संलग्न है।

केन्द्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ
उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर
13/7/11

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23AB 065150

यह बनारस स्टाप पेपर स्वर्गीय सीताराम समीक वेलफेयर सोसाइटी आर्य समाज गली मालवीय रोड देवरिया सदर
जिला देवरिया फाइल न० जी०५४३७८,
नियमावली के साथ संलग्न है।

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर
13/7/11

स्मृति पत्र

1– संस्था का नाम : स्वर्गीय सीताराम सर्राफ वेलफेयर सोसाइटी

2– संस्था का पता : आर्य समाज गली,मालवीय रोड,देवरिया सदर

3–संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4–संस्था का उद्देश्य :

1– जनपद तथा जनपद मे बाहर उचित एवं नैतिक शिक्षा के लिए विद्यालय प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा को स्थापित करना।

2– गरीब एवं असहाय लोगो के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा इस हेतु चिकित्सालय की स्थापना करना।

3–पर्यावरण में प्रति आम लोगो को जागरूक करना तथा इस हेतु जगह जगह पर गोष्ठीयो का आयोजन करना तथा पर्यावरण एवं वृक्षारोपण का कार्य करना जिससे पर्यावरण प्रदूषण दूर हो।

4– बच्चो के नैतिक उत्थान के लिए उन्हे शिक्षित करना तथा गोष्ठी आयोजित कर शिक्षा की प्रति लोगो को जागरूक करना।

5– ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार एवं निर्धन लोगो का स्तर उठाने हेतु स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना तथा इसके लिए अल्पकालिक तौर पर रोजगार मुहैया कराना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

(2)

5– संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का नाम एवं अन्य विवरण जिन्हे संस्था के प्रबन्ध का कार्यभार सौंपा गया है।

नाम	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
सूरज वर्मा	श्री हर्ष चन्द्र वर्मा	आर्यसमाज गली, देवरिया	अध्यक्ष	व्यापार
अभिषेक कुमार वर्मा	श्री ओम प्रकाश सर्राफ	सुर्ती हट्टा,देवरिया	उपाध्यक्ष	व्यापार
नीरज कुमार	श्री हर्ष चन्द	रौनियार टोला आर्य समाज गली देवरिया	मंत्री / प्रबन्धक	व्यापार
अरूण कुमार वर्मा	श्री लालबाबू वर्मा	श्री गायत्रीपूरम देवरिया	उपमंत्री	समाजसेवी
अरविन्द कुमार वर्मा	हर्ष चन्द्र सर्राफ	भरौली बाजार (आर्य समाज गली) देवरिया	सदस्य	व्यापार
रामदरश	कुक्कुर	ग्रा व पो0–पिपरा चन्द्रभान,देवरिया	सदस्य	कृषि
काशी नाथ	दलसिंगार	बेलडरिया, देवरिया	सदस्य	कृषि
शिवनाथ	जिवधारी	मो0–देवरिया खास देहात	सदस्य	कृषि
शिवसहाय	बिन्देश्वरी	ग्रा व पो0–बरनई देवरिया	सदस्य	समाजसेवी

6'– हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अधोहस्ताक्षरी प्राविधानो के अन्तर्गत उपरोक्त सोसाइटी का पंजीयन कराना चाहते है।1

1– [signature]
2 Abhishek
3 Arunkumar
4 अरुण वर्मा
5 अरविन्द कुमार वर्मा
6 रामदरश
7 काशीनाथ
8 शिवनाथ
9 शिवसहाय

26/5/11

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 गोरखपुर
13/7/11

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
13/7/11

कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

नियमावली

1'– संस्था का नाम : स्वर्गीय सीताराम सर्राफ बेलफेयर सोसाइटी

2– संस्था का पता : आर्य समाज गली,मालवीय रोड,देवरिया

3–संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4– सदस्यता एवं सदस्यता का प्रकार

(क) कोई भी व्यक्ति जो बालिग हो तथा उन्मोचित,दिवालिया अथवा पागल न हो अथवा किसी सोसाइटी की अथवा किसी निगम निकाय की विरचना,उसके सम्प्रर्वतन प्रबन्धन अथवा उसके काम काज के संचालन सशक्त किसी अपराध अथवा नैतिक अधमता को अन्तरवालित करने वाले किसी अपराध के लिये दोष सिद्व न किया गया हो सदस्यता के लिये आवेदन पत्र दे सकता है सदस्यता हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने तथा सदस्यता आवेदन पत्र प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकार किये जाने पर ही कोई व्यक्ति सदस्य बन सकेगा अधिकार स्वरूप कोई व्यक्ति सदस्यता की मॉग नही कर सकता है।

i)– **संस्थापक सदस्य** : संस्था के गठन में भाग लेने वाले सदस्य जिनका नाम स्मृति पत्र में अंकित है सोसाइटी के संस्थापक सदस्य होंगे तथा उनकी सदस्यता आजीवन रहेगी।

ii)– आजीवन सदस्य : सोसाइटी को सदस्यता आवेदन पत्र के साथ 1000 रूपया आजीवन सदस्यता शुल्क जमा करने का प्रबन्ध समिति की स्वीकृति से आंजीवन सदस्य कराये जा सकते है।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

(iii) **सामान्य सदस्यः–** सदस्यता के आवेदन पत्र के साथ 100 रूपया सदस्यता शुल्क जमा करने पर प्रबन्ध समिति के स्वीकृति से साधारण सदस्यता की अवधि एक वर्ष की होगी पुनः वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने पर उसकी अवधि प्रबन्ध समिति द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

(iv) **विशिष्ट सदस्य** :– सोसाइटी के कार्य के प्रति सहयोग एवं मदद करने वाले देश के सम्मानित एवं गणमान्य व्यक्ति प्रबन्ध समिति के सहमति से विशिष्ट सदस्य बनाये जा सकते है उन्हे कोई सदस्यता शुल्क नही जमा करना पड़ेगा तथा उनका कार्यकाल अधिकतम पॉच वर्ष का होगा जो प्रबन्ध समिति द्वारा कभी समाप्त की जा सकती है विशिष्ट सदस्यो की संख्या कभी पॉच से अधिक नही होगी

5– सदस्यता की समाप्तिः–

कोई भी व्यक्ति सदस्य नही रह जायेगा

1– यदि मर जाय

2– सदस्यता से त्याग पत्र दे देने प

3– सदस्यता की अवधि समाप्त होने पर

4– सदस्यता तशुल्क तीन माह से अधिक बकाया रहने पर

5– धारा 4 ए मे वर्णित कोई अयोग्य होने पर

6– प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा सदस्यता समाप्त कर दिये जाने पर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

(5)

(6) सोसाइटी के अंग :– सोसाइटी के दो अंग होंगे

1– साधारण सभा 2– प्रबन्धकारिणी समिति

(7) साधारण सभा :–

अ– साधारण सभा का गठन'– सोसाइटी के सभी प्रकार के सदस्य मिलकर जिसका उल्लेख धारा 4 ख में है साधारण सभा कहलायेंगे।

ब– साधारण सभा की बैठक –

(i) सामान्य बैठक :– साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार अवश्य होगी।

(ii) विशेष अथवा आवश्यक बैठक:– सोसाइटी को विशेष अथवा आवश्यक बैठक प्रबन्ध समिति अथवा अध्यक्ष एवं मंत्री की सहमति से आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलायी जा सकती है।

(iii) वार्षिक सामान्य बैठक :सोसाइटी के साधारण सभा की वार्षिक सामान्य बैठक प्रतिवर्ष माह मार्च में बुलायी जायेगी। जिसमें वार्षिक सामान्य बैठक में विचार किये जाने वाले विषयों पर विचार किया जायेगा

स– बैठक की सूचनाः– साधारण सभा के बैठक की सूचना सदस्यो को वार्षिक सामान्य बैठक के लिये 20 दिन तथा सामान्य बैठक के लिए 10 दिन पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। विशेष अथवा आवश्यक बैठक 3 दिन की पूव सूचना पर ही बुलायी जा सकती है। सर्टिफिकेट आफ फेस्टिंग द्वारा सूचना पर्याप्त मानी जायेगी।

द– बैठक की गणपूर्ति :– दस सदस्य अथवा कुल सदस्यो की एक तिहाई संख्या जो अधिक हो बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ॰ प्र॰ गोरखपुर

बैठक हेतु सूचना 15 दिन पूर्ण सभी सदस्यो को भेजा जाना आवश्यक होगा। सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग अथवा व्यक्तिगत रूप से दी गयी सूचना पर्याप्त मानी जायेगी।

(घ) बैठक का कोरमः– बैठक हेतु कम से कम चार सदस्यो की उपस्थिति होने पर गणपूर्ति मानी जायेगी। विशेष बैठक हेतु प्रबन्धकारिणी के दो तिहाई सदस्यो की उपस्थिति कोरम के लिये आवश्यक होगी।

(ङ)प्रबन्ध समिति का कार्यकालः प्रबन्ध समिति का कार्यकाल चुने जाने की तिथि से पॉच साल का होगा। उक्त अवधि के पश्चात प्रबन्ध समिति अधिकतम तीन माह तक कार्यरत रह सकती है। उपरोक्त अवधि के अन्दर हर दशा में प्रबन्ध समिति का चुनाव करा प्रबन्ध समिति स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगी।

(च) रिक्त स्थानो की पूर्ति :– प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के दौरान पार्ट कोइै पद रिक्त होता है तो उक्त रिक्त पद की पूर्ति प्रबन्ध समिति द्वारा बहुमत से साधारण सभा के सदस्यो में से शेष अवधि के लिये की जायेगी तथा उसका कार्यकाल प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा।

(छ) प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

(i) सोसाइटी का वार्षिक बजट तैयार कर स्वीकृत करना।

(ii) साधारण सभा की सदस्यता के लिये प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार कर स्वीकृत/अस्वीकृत करना।

(iii) संस्था के हित के विपरीत कार्य करने वाले सदस्य अथवा पदाधिकारी को नोटिस देकर पद को हटाना तथा सदस्यता समाप्त करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

(iv) सोसाइटी के प्रबन्ध एवं व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धकारिणी समिति की होगी।

(v) सोसाइटी के सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करना।

(vi) सोसाइटी के लिये सम्पत्ति अधिग्रहण करना, उपहार एवं दान प्राप्त करना तथा आवश्यकता पड़ने पर सोसाइटी के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु व्यक्तियों एवं संस्थाओ से ऋण प्राप्त करना।

(vii) सोसाइटी के सुचारू रूप से संचालन हेतु कर्मचारियों के नियुक्त करना।

(viii)–सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थाओ का निरीक्षण करना तथा उनके संचालन हेतु नियम उप नियम बनाना।

(ix) प्रबन्ध समिति सोसाइटी के कार्य संचालन एवं अन्य सभी मामलो में सोसाइटी की सर्वोच्च संस्था होगी।

9– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

(अ) अध्यक्ष–

(i) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक बुलाने हेतु मंत्री/प्रबन्धक को निर्देशित करना।

(ii) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी के बैठको को स्थापित करना।

(iii)साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के बैठको की अध्यक्षता करना।

(iv)साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के बैठक में किसी विषय पर मतदान की स्थिति में बराबर मत होने पर एक अतिरिक्त वोट देने का अधिकार।

(v) प्रबन्ध समिति एवं साधारण सभा की बैठक में किसी तरह के विवाह की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय मान्य एवं अन्तिम होगा।

(vi) अध्यक्ष, मंत्री/प्रबन्धक के साथ संस्था के खातो का संचालन संयुक्त रूप से करेगा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

(vii)साधारण सभा अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा विशेष प्रस्ताव से यदि कोई अधिकार या कर्तव्य अध्यक्ष को प्रदान किया जाय तो उसके अनुसार कार्य करना।

(ब) उपाध्यक्ष :–

(i) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य एवं अधिकार का सम्पादन करना।

(ii) अध्यक्ष द्वारा अपने किसी कर्तव्य या अधिकार को उपाध्यक्ष को प्रतिनिर्धारित किया जाता है तो उसे अनुरूप कार्य करना।

(iii) साधारण सभा अथवा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा यदि कोई अधिकार या कर्तव्य करने हेतु उपाध्यक्ष के अधिकृत किया जाय तो उसका अनुपालन करना।

स– मंत्रीः–

(i) मंत्री ही संस्था का प्रबन्धक होगा।

(ii) मंत्री संस्था का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा तथा समिति के उचित रूप से संचालन हेतु उत्तरदायी होगा।

(iii) मंत्री प्रबनध्कारिणी समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(iv) मंत्री ही समिति के तरु से किसी भी तरह के पत्राचार करने का अधिकारी होगा।

(v) समिति की सदस्यता की रसीद अपने हस्ताक्षर से निर्गत करने का अधिकार मंत्री को होगा अन्य किसी पदाधिकारी को उपरोक्त अधिकार प्राप्त नही होगा।

(vi) समिति की ओर से धन,उपहार,चन्दा,शुल्क आदि प्राप्त करने का अधिकार मंत्री के ही होगा जिसे प्राप्त कर मंत्री कोषाध्यक्ष के माध्यम से जमा करायेगा।

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

-7-

(vii) मंत्री समिति के तरफ से न्यायालयों में मुकदमों में समिति का प्रतिनिधित्व करेगा।

(viii) समिति का खाता मूल पोस्ट आफिस आदि जगहो पर अध्यक्ष एवं मंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।

(ix) सोसाइटी(संस्था) द्वारा संचालित संस्थाओ मे मंत्री ही प्रबन्धक के दायित्वो का निर्वहन करेगा।

(x) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक अध्यक्ष के निर्देश अथवा अनुमति से बुलाने का अधिकार मंत्री को होगा।

(xi) सोसाइटी अथवा सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थाओ के लिय चल एवं अचल सम्पत्ति को ग्रहण करने का अधिकार मंत्री को ही रहेगा

(xii) प्रबन्धकारिणी समिति अथवा साधारण सभा द्वारा यदि विशेष प्रस्ताव से अन्य भी कर्तव्य अथवा अधिकार मंत्री को सौंपा जाय उसका निर्वहन मंत्री द्वारा किया जायेगा।

(xiii) समिति एवं समिति द्वारा संचालित संस्थाओ में कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अधिकार मंत्री/प्रबन्धक को ही रहेगा

(xiv) समिति एवं समिति द्वारा संचालित संस्थाओ के कर्मचारियो के विरुद्व अनुशात्मक कार्यवाही करने का अधिकार मंत्री/प्रबन्धक को होगा।

(xv) संस्था के हित मे अन्य जो भी आवश्यक कार्य करना हो उसे प्रबन्ध समिति के स्वीकृति मंत्री/प्रबन्धन करेगा।

(द) उपमंत्रीः-

(i) मंत्री के अनुपस्थिति में मंत्री के कर्तव्यो एवं अधिकारो का निर्वहन उपमंत्री द्वारा किया जायेगा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

(ii) मंत्री द्वारा उपमंत्री को जो अधिकार एवं कर्तव्य सौंपा जाय उसका निर्वहन उपमंत्री करेगा।

(iii) उपमंत्री ही संस्था के कोषाध्यक्ष का भी दायित्व सम्भालेगा तथा आय व्यय का विवरण तैयार करेगा।

(iv) मंत्री/प्रबन्धक या किसी अन्य पदाधिकारी से प्राप्त धन कोषाध्यक्ष के खाते में जमा करेगा यह उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

(v) प्रबन्धसमिति अथवा साधारण सभा द्वारा अन्य जो भी कर्तव्य व अधिकार उपमंत्री को सौपा जाय उसका वह निर्वहन करेगा।

(10) संस्था(सोसाइटी) के नियमों में संशोधन :-

संस्था (सोसाइटी) के वर्तमान नियमावली में आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्धकारिणी समिति के दो तिहाई सदस्यो के बहुमत से विशेष प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है, परन्तु उक्त पारित प्रस्ताव साधारण सभा की विशेष बैठक जो उकत के विचारार्थ बुलायी जाय में उपस्थित बहुमत सदस्यो के सहमत से किया जायेगा। नियमावली में उक्त संशोधन की स्वीकृति की सूचना सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स को समिति द्वारा संशोधन स्वीकार किये जानेके 30 दिन के अन्दर प्रेषित कर दिया जायेगा।

(11) संस्था (सोसाइटी) के खातो का संचालनः-

संस्था (सोसाइटी) का खाता संस्था के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खोला जायेगा जिसमें सारा धन जमा किया जायेगा। खाते का

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ.प्र. गोरखपुर

संचालन अध्यक्ष, मंत्री / प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(12) संस्था (सोसाइटी) के लेखो का परीक्षणः—

संस्था के लेखा खाते का परीक्षण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिवर्ष कराया जायेगा तथा सम्प्रेषण आख्या प्रबन्ध समिति की बैठक में प्रबन्ध समिति के अवलोकनर्थ मंत्री/ प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुंत किया जायेगा।

(13) संस्था (सोसाइटी) के द्वारा अथवा उसके विरुद्व दाखिल मुकदमों का संचालन :—

संस्था (सोसाइटी) के द्वारा अथवा उसके विरुद्व दाखिल किसी भी मुकदमें में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व मंत्री / प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा। यदि कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो तो प्रबन्धकारिणी समिति किसी अन्य पदाधिकारी को विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रतिनिधित्व करनें के लिए अधिकृत कर सकती है।

(14) संस्था (सोसाइटी) के समिति एवं उनका रख रखाव

संस्था के सभी अभिलेख जिसमें सदस्यता रजिस्टर सूचना रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर स्टाक रजिस्टर एवं रोकड़ वही आदि के रख रखाव की जिम्मेदारी मंत्री / प्रबन्धक की होगा और वही उसको सुरक्षित रखने का जिम्मेदार भी होगा।

(15) संस्था (सोसाइटी) का विघटन एवं उसके कार्य कलाप का समायोजन

यदि किसी दशा में संस्था (सोसाइटी) के विरुद्व की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस दशा में संस्था (सोसाइटी) की सम्पत्ति और उउसके दावो एवं देयताओ का समायोजन करने के पश्चात सोसाइटी रंजिस्ट्रेशन की धारा 13 व 14 के प्राविधानो के अनुरूप सोसाइटी विघटित हो जायेगा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

16'– संस्था (सोसाइटी) के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो विवाद प्रबन्ध समिति के समक्ष विचारार्थ मंत्री/प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा और प्रबन्ध समिति का उक्त के सम्बन्ध में निर्णय मान्य एवं सर्वोपरि होगा।

सत्य प्रतिलिपि

सूरजवर्मा
Abhishek
नीरजवर्मा
अरुण वर्मा
अरविन्द कुमार
रामदरश
काशीनाथ
विश्वनाथ
विश्वकर्मा

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर
13/7/11

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता ....
13/7/11